सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2019/42** दायरा दिनांक **28.01.2019**

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
| --- | --- | --- |
| 1. मूकेश कुमार मण्डा पुत्र रामूराम मण्डा<br>2. कानी पत्नि रामूराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) | **बनाम्** | 1. रामूराम दत्तक पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)<br>2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना |

**दावा बाबत्**
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा हस्व
धारा 88,53, राज. काश्त. अधि.

**उपस्थित–**

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार उपस्थित ।
2. प्रतिवादी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन उपस्थित।

## –:: निर्णय ::–

दिनांक **06.02.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा स्थित है।जो वादग्रस्त खेत है। इन वादग्रस्त खेतो की जमीन पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर बराबर अर्थात 1/3–1/3 हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है।उक्त खेत पैत्रिक है।नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 पेश है।

वादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या 01 का पुत्र है तथा वादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नि है।,जिसका हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार दादे की जायगा में जन्म से अधिकार निहित है।वादीगण का ससूर व दादा मंगाराम का देहान्त हो चुका है।जो उक्त वादग्रस्त खेतो के पूर्व खातेदार थे।स्व. मंगाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त खेतो का फौतगी म्युटेशन उनके पुत्र रामूराम के नाम भरा गया। वादग्रस्त खेतो की वर्तमान खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सम्पुर्ण रकबा दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या एक वादीगण को उनके नोशनल शेयर से वचिंत रखना चाहता हैं तथा वादग्रस्त खेतो को प्रतिवादी संख्या एक ने सम्वत हाल

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

में महेन्द्रकुमार पुत्र पूर्णाराम जाति जाट व किरण राकांवत पत्नि गोविन्द राकांवत जाति स्वामी को दिनाकं 04.01.2019 को जरिये बैचाण रजिस्ट्री के विक्रय कर दिया हैं जिसकी नकले पेश है। वादीगण को पूर्ण आशंका है कि प्रतिवादी संख्या एक अपने दीगर साथियो की मदद से वादीगण को वादग्रस्त खेतो से बेदखल करके किसी अन्य को सम्पुर्ण खेत विक्रय कर देगा।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक ने अपने पुर्वजो के फौतगी के बाद ही उपरोक्त खेतो का मौखिक बन्टवारा कर अलग–अलग काश्त करते थे।उसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 काश्त कर रहे है तथा अपने बन्ट के अनुसार ही मौके पर सीवे–निवे कायम कर रखी है। तथा अपने काश्त की जमीन मे पैड–पौधे व खाद्ध आदि डाल कर व चारो और सींवें निवे डाल कर उपजाउ बना रखा है।जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची''क'' मे बन्टवारे के अनुसार अपने बन्ट को दर्शाया गया है।उक्त नजरी नक्शा अनुसूची''क'' दावे का अहम भाग है।बन्ट निम्न प्रकार है:–

(क)<u>वादी संख्या एक के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–</u>

मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बीघा 01 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ख)वादी संख्या 02 के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–

मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बीघा 01 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ग) प्रतिवादी संख्या 01 के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :–

मौजा दौलतपुरा के खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा सम्पुर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा सम्पुर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

(घ) नजरी नक्शे के अनुसार मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा में से 03 बिस्वा जमीन वादीगण संख्या 01 व 02 के आने जाने हेतु रास्ते हेतु छोडी गई है जो उपरोक्त वादीगण संख्या 01 व 02 के सामलाती खातेदारी की रहेगी।उपरोक्त रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार कायम रहेगा।

इस प्रकार मौके पर कब्जा काश्त व बन्ट के अनुसार कुल जमीन के उपरोक्त अनुसार अलग–अलग 1/3–1/3 भाग किये हुए है। नजरी नक्शा अनूसूची ,,क,,पेश है। जो इस वाद का अहम भाग है। नजरी नक्शे मे प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी के बन्ट मे आई जमीन को दर्शाया गया है।इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

बन्टवारा प्रतिवादीगण स. 01 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। वादग्रस्त खेत पैत्रिक खेत होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त खेतो की कृषि भूमि की जमीन में वादीगण संख्या 01 ता 02 व प्रतिवादीगण संख्या 01 प्रत्येक का 01/03–01/03 हिस्सा नोशलन हैं। जमीन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादीगण की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है इस लिए वादीगण अपने बन्ट व कब्जे काश्त की जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करते है।

वादग्रस्त खेत पैत्रिक खेत होने से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त खेतो की कृषि भूमि की जमीन में वादीगण संख्या 01 ता 02 व प्रतिवादीगण संख्या 01 प्रत्येक का 01/03–01/03 हिस्सा नोशलन हैं। वादग्रस्त खेतो पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा काश्त पैत्रिक समय से चला आ रहा है।वादीगण वादग्रस्त खेतो की खातेदारी की भूमि में अपना–अपना 1/3–1/3 नोशलन शेयर दर्ज करवाना चाहते है. किन्तु प्रतिवादी संख्या एक जो वर्तमान में वादग्रस्त खेतो में सम्पुर्ण हिस्से का खातेदार है, और वादीगण को नोशनल हिस्सा देने से इन्कार हैं तथा विविदित खेतो का बैचाण कर दिया है और सम्पुर्ण जमीन अन्य लोगो को बैचाण करना चाहता है। इसलिए वादीगण को अपना–अपना 1/03–1/03 नोशलन शेयर अपने नाम से घोषित करवाने का वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना वादीगण है

कि वादीगण का वाद मय खर्चा विरुद्ध प्रतिवादी सं 01 डिक्री फरमाया जावे तथा वादग्रस्त मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा की खातेदारी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा नोशनल शेयर घोषित किया जावें व इसी मुताबिक घोषित हिस्से का रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

कि मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बन्टवारा वाद के पद संख्या 03 व नजरी नक्शा के अनुसार जमीन का बन्टवारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीगण का हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रेकर्ड मे अलग–अलग से बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

दिनाकं 06.02.2019 को वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेशकुमार ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा की खातेदारी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।तथा मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **06.02.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

**(लगातार)**

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2019/42

दायरा दिनांक 28.01.2019

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. मूकेश कुमार मण्डा पुत्र रामूराम मण्डा<br>2. कानी पत्नि रामूराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) | बनाम् | 1. रामूराम दत्तक पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)<br>2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना |

**दावा बाबत्**
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा हस्व
धारा 88,53, राज. काश्त. अधि.

दिनांक 06.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री,राजेश कुमार वादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01, श्री ईस्लामुदीन उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा की खातेदारी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।तथा मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 298 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा खेत ख.न. 308 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खेत ख.न. 309 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................. ..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.02..2019 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

| मुददई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| महनताना वकील | — | | महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | — | | खर्चा गवाहान | | |
| फिस कमिश्नर | | | फिस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | थमजान | | |

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–42–2019 / रीडर / 2019 / 149                                        दिनांक 12/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

**दावा बाबत्**
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा हस्ब
धारा 88,53, राज. काश्त. अधि.

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. मूकेश कुमार मण्डा पुत्र रामूराम मण्डा<br>2. कानी पत्नि रामूराम समस्त जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) | **बनाम्** | 1. रामूराम दत्तक पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)<br>2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना |

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner